

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या:12/ए-कैशलेस-2011

दिनांक:दिसम्बर 6/11,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

विषय:-

उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को मुफ्त इलाज एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कराये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सभी पुलिस कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद उ0प्र0 प्रथम पक्ष एवं एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वितीय पक्ष जो उ0प्र0 अधिनियम-30/1983 के अन्तर्गत अनुबन्ध किया गया है, उक्त अनुबन्ध के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को मुफ्त उपचार किये जाने से सम्बन्धित जीवन रक्षक निधि से रू0-दो करोड़ की धनराशि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में इस शर्त के अनुसार जमा कराई गयी है कि प्रथम चरण में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गम्भीर बीमारी में जैसे:-हार्ट अटैक, टी0बी0, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, मस्तिष्क ट्यूमर, डेंगू, मैनेनजाईटिस, दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने आदि से सुविधा प्रदान की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उक्त बीमारी से निशुल्क सेवा उपलब्ध कराये जाने से पूर्व जनपदों/इकाईयों से निम्नलिखित कार्यवाही आवश्यक होगी:-

(1) यह अनुबन्ध पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जीवन रक्षक निधि के माध्यम से किया गया है तथा पुलिस सम्बन्धित लेखाशीर्षक से जिनका वेतन आहरित होता है, उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रितों को यह सुविधा प्राप्त होगी।

(2) जिन कर्मियों का इलाज होना है सर्व प्रथम जनपद/इकाई स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा पहचान पत्र तीन प्रति प्रमाणित फोटो, उसके घर का पता, फोन नं0 यदि आश्रित है तो उसका प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा तथा उसके अधिकारी का नाम व सी0यू0जी0 नम्बर कर्मि के प्रार्थना पत्र पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय कैम्प कार्यालय लखनऊ में नामित अधिकारी श्रीमती परवीन आजाद, विशेष कार्याधिकारी, कल्याण अथवा उनकी अनुपस्थिति में अपर पुलिस अधीक्षक, कैम्प कार्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित कर्मि का प्रार्थना पत्र फोटो नाम पद पता टेलीफोन नं0, वेतन आहरण एवं उसकी पहचान करने वाले सम्बन्धित जनपदों/इकाईयों के राजपत्रित अधिकारी का नाम आदि अंकित करके उसका सत्यापन करते हुए एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ थाना कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी(एस0आई0) के पास भेजकर उनके द्वारा रजिस्टर में उसका पूर्ण विवरण फोटो सहित अंकित करने के उपरान्त उपचार हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ भेजा जायेगा।

1) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा मरीज के वेतन, ग्रेड पे आदि को देखते हुए प्राधिकार पत्र निर्गत करेगा। इसमें मरीज प्राइवेट वार्ड, या सामान्य वार्ड किसके लिए अर्ह है, को देखते हुए सुविधा प्रदान की जायेगी। जनरल वार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में मरीज की जान बचाने हेतु प्राइवेट वार्ड उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार बिल में चार्ज कर लिया जायेगा।

(4) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा बीमारी से ग्रसित कर्मियों को आवश्यक दवाईयों तथा शल्य चिकित्सा एवं आम उपयोग की वस्तु उपलब्ध करायेगा। जब किसी वस्तु की बाजार से व्यवस्था कराना आवश्यक होगा, ऐसी वस्तुओं का मूल्य बाहरी फर्म द्वारा वसूल की गयी वास्तविक धनराशि के अनुसार वसूल किया जायेगा। किन्हीं कारणों से उपकरणों के चालू स्थिति में न होने अथवा बीमारी की जाँच हेतु कुछ उपकरणों के उपलब्ध न होने की स्थिति में बीमारी की जाँच बाहर से करायी जायेगी। इसके लिए बाहरी फर्मों द्वारा वास्तविक रूप से दी गई धनराशि के अनुसार वसूल की जायेगी।

(5) एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा भर्ती मरीजों को दवायें उपलब्ध करायेगा, यदि मरीज के संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0 एम0एस0) से निकलने के बाद दवायें जारी रखा जाना आवश्यक होगा वह केवल दवाओं का पर्चा ही देगा। संस्थान मरीजों को भर्ती की सुविधा भर्ती के दौरान बैड की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेगा तथा बैड उपलब्ध न होने की स्थिति में मरीज को अन्यत्र रैफर कर दिया जायेगा।

3- अतः पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी जो राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं वे उक्त योजनान्तर्गत अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अधीनस्थों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे बीमारी से ग्रसित कर्मि उक्त संस्थान में अपना उपचार सुचारू रूप से करा सकें।


31/12/13
(डा० सूर्य कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के सहायक उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के थाने पर एक कम्प्यूटर जानकार जो एस0जी0पी0जी0आई0 के बिलों की जानकारी कर सकें एवं एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाय, ताकि बीमारी से ग्रसित कर्मियों को तत्परता से एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में भर्ती कराया जा सके।
- ✓ 3. विशेष कार्याधिकारी, कल्याण/अपर पुलिस अधीक्षक, कैम्प कार्यालय लखनऊ।
4. थाना प्रभारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
5. समस्त गोपनीय सहायक/अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों व उनके आश्रित परिवार के सदस्य के
निशुल्क: उपचार हेतु संजय गाँधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ के

उपयोगार्थ प्राधिकार-पत्र

प्राधिकार पत्र क्रमांक-

दिनांक-

प्रमाणित फोटो

- (1) रोगी का नाम----- पुलिस कर्मी का नाम-----
रोगी से सम्बन्ध-----
- (ए) पुलिस कर्मी का पदनाम-----
- (बी) पीएनओ न०-----
- (सी) पे ग्रेड-----
- (डी) मोबाईल न०-----
- (ई) बीमारी की दशा-----
- (2) आश्रित प्रमाण पत्र(यदि है तो संलग्न करें)-----
- (3) घर का स्थायी पता-----
अस्थायी पता-----
- (4) पहचान चिन्ह-----
- (5) रोगी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान एवं रोगी यदि किसी पुलिस कर्मी का आश्रित
हो तो सम्बन्धित पुलिस कर्मी का हस्ताक्षर व अँगूठा निशान-----

प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कैम्प कार्यालय,
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों व उनके आश्रित परिवार के सदस्य के
निशुल्क: उपचार हेतु संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ के

(कैम्प कार्यालय) उपयोगार्थ प्राधिकार-पत्र

प्राधिकार पत्र क्रमांक-

दिनांक-

03 प्रमाणित
फोटो

- (1) रोगी का नाम----- (आश्रित होने पर) पुलिस कर्मी का प्रार्थना पत्र संलग्न किया जाय।
रोगी से सम्बन्ध-----
- (ए) पुलिस कर्मी का पदनाम-----
- (बी) पीएनओ न0-----
- (सी) पे ग्रेड-----
- (डी) मोबाईल न0-----
- (ई) बीमारी की दशा-----
- (2) आश्रित प्रमाण पत्र (यदि है तो संलग्न करें)-----
- (3) घर का स्थायी पता-----
अस्थायी पता-----
- (4) पहचान चिन्ह (जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा प्रमाणित शुदा)-----
- (5) रोगी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान एवं रोगी यदि किसी पुलिस कर्मी का आश्रित हो तो सम्बन्धित पुलिस कर्मी का हस्ताक्षर व अँगूठा निशान-----

जनपद/इकाई प्रभारी का नाम व पदनाम व मोबाईल न0
(मुहर सहित)